राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S.B. Civil Misc. Appeal No.853/2016

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

बनाम

बृज बल्लभ एवं अन्य

आदेश दिनांक **05** अप्रेल, **2018**

मानननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री अमिताभ जाटव अधिवक्ता वास्ते
श्री अनुरूप सिंघी अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से
श्री नरेश गुप्ता अधिवक्ता-प्रत्यर्थी की ओर से

--

अधिवक्ता श्री अमिताभ जाटव ने इस मामले में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अनुरूप सिंघी की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया है कि आज अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अत: अवसर दिया जावे।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी श्री नरेश गुप्ता ने निवेदन किया है कि प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन चल रहे हैं और सभी प्रत्यर्थीगण वरिष्ठ नागरिक हैं। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जावे कि वे आइन्दा तारीख पर आवश्यक रूप से बहस करे।

अत: प्रार्थनानुसार इस निर्देश के साथ अवसर दिया जाता है कि आइन्दा तारीख पेशी दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस के लिए तैयार होकर आवे।

पत्रावली मय संलग्न अपीलों के दिनांक 25.04.2018 को पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-44-70

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते